+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(21 February 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- डोनाल्ड ट्रम्प के रूस समर्थक रुख ने यूक्रेन और यूरोप दोनों 'स्तब्ध'
- संविधान का अनुच्छेद 101(4): क्या लम्बे समय की अनुपस्थित के कारण सांसद अपनी सीट खो सकते हैं?
- राज्य सरकार आवेदन की प्रतीक्षा किए बिना पात्र दोषियों की छूट पर विचार करने के लिए बाध्य: सुप्रीम कोर्ट
- MCQ

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

डोनाल्ड ट्रम्प के रूस समर्थक रुख ने यूक्रेन और यूरोप दोनों 'स्तब्ध':

चर्चा में क्यों है?

- व्लादिमीर लेनिन के नाम से अक्सर कही जाने वाली एक प्रसिद्ध कहावत है कि "कुछ दशक ऐसे होते हैं जब कुछ नहीं होता, और कुछ हफ़्ते ऐसे होते हैं जब दशकों के परिवर्तन हो जाते हैं"। यह पिछला सप्ताह शायद बाद वाली श्रेणी में आ सकता है।
- उल्लेखनीय है कि 18 फरवरी को, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब के रियाद में मिला, जो तीन साल पहले रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद वाशिंगटन और मॉस्को के बीच पहली बार आमने-सामने की बातचीत थी। इस वार्ता की शुरुआत का रास्ता कुछ दिन पहले ही साफ हो गया था, जब 12 फरवरी को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फ़ोन पर 90 मिनट की "अत्यधिक उत्पादक" बातचीत की थी।

अमेरिका द्वारा यूरोप को लेकर तीखी टिप्पणियां:

- ट्रंप-पुतिन वार्ता के बाद दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। सबसे पहले, अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेग ने ब्रुसेल्स में यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह से कहा कि वह पहचाने कि "यूक्रेन की 2014 से पहले की सीमाओं पर लौटना" "अवास्तविक" है और अमेरिका "यह नहीं मानता कि यूक्रेन के लिए नाटो सदस्यता" "यथार्थवादी" है।
- दूसरा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में यूरोपीय नेताओं से कहा कि यूरोप के लिए मुख्य खतरा रूस से नहीं, बल्कि उनके अंदर से है। उन्होंने कहा कि "यदि आप अपने ही मतदाताओं के डर से भाग रहे हैं, तो अमेरिका आपके लिए कुछ नहीं कर सकता"।
- इन टिप्पणियों ने यूरोप और यूक्रेन को "स्तब्ध" कर दिया और ये ट्रम्प कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ट्ज की रियाद में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के नेतृत्व में रूसी प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक का पूर्वाभास थे।

यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी नीतियों में आमूल परिवर्तन:

- यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति ट्रम्प का दृष्टिकोण फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से एक आमूल प्रस्थान को दर्शाता है।

बिडेन प्रशासन की यूक्रेन युद्ध को लेकर नीति:

- पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन की नीति (i) रूस को राजनीतिक और आर्थिक रूप से अलग-थलग करने और (ii) यूक्रेन को युद्ध लड़ने में मदद करने पर केंद्रित थी।
- अपने स्वयं के सैनिकों को जमीन पर उतारने के सिवा, अमेरिका और यूरोप ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि यूक्रेन अपनी रक्षा कर सके। अमेरिकियों और यूरोपीय लोगों के समर्थन से यूक्रेनियों को अपनी जमीन पर खड़े होने में मदद मिली।
- साथ युद्ध पर अमेरिकियों और यूरोपीय सहयोगियों के बीच एक बुनियादी समझौता था कि जब भी इसे समाप्त करने के लिए बातचीत होगी, तो यूक्रेन की मौजूदगी के बिना कुछ नहीं होगा।

ट्रम्प प्रशासन की यूक्रेन युद्ध को लेकर नीति में आमूल परिवर्तन:

- लेकिन जब सऊदी अरब ने इस सप्ताह अमेरिकियों और रूसियों की मेजबानी की, तो यूक्रेनियों से न तो सलाह ली गई और न ही उन्हें आमंत्रित किया गया।
- कुछ विश्लेषकों ने 1945 के याल्टा सम्मेलन को याद किया, जब अमेरिका, USSR और ब्रिटेन के नेता युद्ध के बाद के जर्मनी और यूरोप के भविष्य पर चर्चा करने के लिए मिले थे।

- राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बाद में कहा कि ट्रंप रूसी "गलत सूचना बुलबुले" में फंस गए हैं, जबकि राष्ट्रपति ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की को "एक मामूली सफल हास्य अभिनेता" और "चुनावों के बिना तानाशाह" के रूप में मज़ाक उड़ाया, जिन्हें "युद्ध कभी शुरू नहीं करना चाहिए था"।

भारत के दृष्टिकोण से इस स्थिति को किस तरह से देखा जाए?

- उल्लेखनीय है कि सबसे पहले, भारत ने भले ही सीधे तौर पर किसी देश का पक्ष नहीं लिया हो लेकिन उसने हमेशा 'शांति' का पक्ष लिया है, और हमेशा युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति की वकालत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को सलाह दी कि "यह युद्ध का युग नहीं है"।
- दूसरा, भारत ने युद्ध को समाप्त करने के किसी भी प्रयास में योगदान देने की पेशकश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों का दौरा किया है, और पिछले तीन वर्षों में कई बार राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की है और बात की है।
- तीसरा, जून 2024 में स्विस द्वारा आयोजित एक शांति सम्मेलन में, भारत ने यह तर्क देते हुए संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर नहीं किए कि रूस वार्ता की मेज पर नहीं

था। यह देखना बाकी है कि भारत वर्तमान स्थिति से कैसे निपटता है, जिसमें रूस वार्ता की मेज पर है, लेकिन यूक्रेन नहीं है।

- चौथा, पिछले तीन वर्षों से, भारत ने द्विपक्षीय स्तर पर और G20, SCO और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों पर अनेक चुनौतियों एवं दबाबों के बावजूद रूस के साथ जुड़ाव जारी रखा है। यह आज की बदली हुई स्थिति में भारत को अच्छी स्थिति में रखता है।

संविधान का अनुच्छेद 101(4): क्या लम्बे समय की अनुपस्थित के कारण सांसद अपनी सीट खो सकते हैं?

चर्चा में क्यों है?

- खडूर साहिब से जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह ने 19 फरवरी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर संसद के चल रहे सत्र में भाग लेने की मांग की, ताकि सदन से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें अपनी सीट न गंवानी पड़े।
- उल्लेखनीय है कि सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आरोपों का सामना कर रहे सांसद अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 से डिब्रूगढ़ में हिरासत में रखा गया है। उन्होंने जेल से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन अब तक सदन में उनकी उपस्थिति केवल 2 प्रतिशत ही है।

संविधान के अनुच्छेद 104(4) का प्रावधान:

- संविधान के अनुच्छेद 101(4) में कहा गया है कि "यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य साठ दिनों की अवधि के लिए सदन की अनुमति के बिना सदन

की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है"। हालांकि, 60 दिनों में "वह अवधि शामिल नहीं है जिसके दौरान सदन को चार दिनों से अधिक समय के लिए लगातार स्थगित किया जाता है"।

- प्रभावी रूप से, अनुपस्थिति की अवधि की गणना केवल संसद की वास्तविक बैठकों के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए, अमृतपाल ने लोकसभा की केवल एक बैठक में भाग लिया - जिसमें उन्होंने पिछले जुलाई में शपथ ली थी। तब से, वह असम में हिरासत में है। इस प्रकार अब तक लगभग 50 बार अनुपस्थित रहे हैं।
- हालांकि, पूर्व लोकसभा महासचिव पी डी टी आचार्य के अनुसार, उन्हें एक भी ऐसा मामला याद नहीं है जिसमें अनुच्छेद 101(4) को लागू किया गया हो, और परिणामस्वरूप एक सांसद को अपनी सीट खोनी पड़ी हो।

एक सांसद छुट्टी की अनुमति कैसे प्राप्त करता है?

- अनुच्छेद 101(4) में प्रभावी शब्द "सदन की अनुमति के बिना" है। ऐसे में लंबे समय तक अनुपस्थित रहने पर, सांसद 'सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति' को लिखते हैं, जो इस मुद्दे से निपटने वाला संसदीय पैनल है। यह समिति प्रत्येक छुट्टी आवेदन पर सिफारिशें करती है, जिसे बाद में संबंधित सदन द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

- हालांकि, व्यवहार में, आवेदनों को शायद ही कभी खारिज किया जाता है। इसलिए एक सांसद के रूप में अमृतपाल सिंह को सदन के पैनल को लिखने और इस आधार पर अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगने का पूरा अधिकार है कि वह जेल में है और उसे जमानत नहीं मिल रही है।
- अगर कोई सांसद 60 दिनों से ज़्यादा समय तक अनुपस्थित रहता है, तो भी सदन को सीट को "खाली" घोषित करना पड़ता है, तो भी मामले को सदन में मतदान के लिए रखा जाना होता है।

सांसदों की छुट्टी से जुड़े कुछ उदाहरण क्या हैं?

- 2023 में, बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन घोसी सांसद अतुल राय ने संसद की लगातार 23 बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी क्योंकि वे जेल में थे। समिति ने उनके लिए 23 दिन की छुट्टी की सिफारिश की।
- दिसंबर 2023 में, भाजपा के गुरदासपुर के सांसद और बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने बीमारी का हवाला देते हुए 74 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया। पैनल ने उन्हें 59 दिनों की छुट्टी दी और शेष 15 दिनों के लिए उन्हें नया आवेदन जमा करने को कहा। देओल ने 18% उपस्थिति के साथ अपना पूरा

कार्यकाल पूरा किया और 2024 के लोकसभा चुनावों से बाहर होने का विकल्प चुना, यह कहते हुए कि वे राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

संविधान का अनुच्छेद 101: सांसदों के सीटों का रिक्त होना

- **अनुच्छेद 101 (1):** कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुना जाता है, वह एक सदन या दूसरे सदन में अपनी सीट खाली कर सकता है।
- **अनुच्छेद 101 (2):** कोई भी व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल, दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य चुना जाता है, तो निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर संसद में उस व्यक्ति की सीट रिक्त हो जाएगी, जब तक कि उसने राज्य विधानमंडल में अपनी सीट से पहले ही त्यागपत्र न दे दिया हो।
- **अनुच्छेद 101 (3):** यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य--
  - ➢ (a) अनुच्छेद 102 के खंड (1) या खंड (2) में उल्लेखित किसी भी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, या
  - ➢ (b) सभापति या अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में अपनी सीट से त्यागपत्र दे देता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- **अनुच्छेद 101 (4):** यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना साठ दिन की अवधि तक उसकी समस्त बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

राज्य सरकार आवेदन की प्रतीक्षा किए बिना पात्र दोषियों की छूट पर विचार करने के लिए बाध्य: सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों है?

- कैदियों के अधिकारों पर हाल में एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सजा में छूट नीतियों वाले राज्यों को निर्देश दिया कि वे कैदियों की समयपूर्व रिहाई पर विचार कर सकते हैं, भले ही वे लोग पहले से छूट के लिए आवेदन न करें।
- उल्लेखनीय है कि कुछ प्रकार के दोषियों के लिए अपवादों के साथ, राज्य सरकारों को भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) के तहत उनकी सजा पूरी होने से पहले कैदियों को रिहा करने का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय है?

- न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्जल भुयान की पीठ ने "पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल" के मामले में यह फैसला सुनाया। यह एक स्वप्रेरणा मामला है

जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों में भीड़ से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए 2021 में खुद ही शुरू किया था।

- उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सजा में छूट के लिए उसके दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। क्योंकि 2013 के दो अलग-अलग फैसलों में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि राज्य स्वप्रेरणा (अपनी मर्जी से) सजा नहीं माफ कर सकते हैं और कैदी को पहले आवेदन करना होगा।

कैदियों की सजा माफ करने से जुड़ा कानून क्या कहता है?

- कैदी की सजा छूट की शक्ति से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति की सजा की अवधि को कम करने की शक्ति से है जिसे किसी अपराध का दोषी पाया गया हो।
- **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत प्रावधान:**
  - ➢ BNSS राज्य सरकारों को "किसी भी समय" सजा माफ करने की शक्ति प्रदान करती है।
  - ➢ राज्य यह भी चुन सकते हैं कि क्या वे ऐसी शर्तें लागू करना चाहते हैं जिन्हें पूरा करके दोषी को अपनी सजा माफ करवानी होगी, जैसे कि नियमित अंतराल पर पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट करना। यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं

होती है, तो प्रावधान में कहा गया है कि राज्य दी गई छूट को रद्द कर सकते हैं और बिना वारंट के दोषी को फिर से गिरफ्तार कर सकते हैं।

➢ राज्य सरकार की छूट की शक्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों में से एक BNSS के तहत ही पाया जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों और मृत्यु दंड अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर, राज्य उन्हें तब तक जेल से रिहा नहीं कर सकता जब तक कि कम से कम 14 साल की सजा पूरी न हो जाए।

- उल्लेखनीय है कि BNSS में छूट की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब "जब भी उपयुक्त सरकार को आवेदन किया जाता है"। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यह आवेदन अब सख्ती से जरूरी नहीं है क्योंकि ज्यादातर राज्यों में छूट की नीतियां हैं जो पात्रता की शर्तें निर्धारित करती हैं।
- उल्लेखनीय है कि यह संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की सजा माफ करने की शक्ति से अलग है।

भारत में जेलों में कैदियों की संख्या कितनी है?

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर, 2022 तक, भारत की जेलों में 5,73,220 कैदी हैं, जो उनकी कुल क्षमता 4,36,266 का 131.4 प्रतिशत होता है।

- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से इस आंकड़े में कमी आ सकती है, हालांकि भारत में अधिकांश कैदी विचाराधीन (75.8%) हैं और अभी भी अपने मामलों में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
- उल्लेखनीय है कि कि इस बात का कोई आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में कितने कैदियों को छूट नीतियों से लाभ हुआ है, भारत में जेल सांख्यिकी रिपोर्ट (अंतिम बार वर्ष 2022 के लिए प्रकाशित) समय से पहले रिहा किए गए कैदियों की संख्या पर डेटा प्रदान करती है। 2020 में 2321 कैदियों को रिहा किया गया, 2021 में यह संख्या थोड़ी बढ़कर 2350 हो गई। 2022 में समय से पहले रिहा किए गए कैदियों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, जो 5035 थी।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQs

1. चर्चा में रहे 'याल्टा सम्मेलन' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

   1. यह सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में आयोजित हुआ था।
   2. यह सम्मेलन अमेरिका, ब्रिटेन, और सोवियत संघ के शासनाध्यक्षों के बीच विश्व युद्ध के बाद के जर्मनी और यूरोप के भविष्य पर चर्चा करने के लिए हुआ था।

   उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

   Ans:(c)

2. संविधान का निम्नलिखित कौन-सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को संसद या किसी राज्य विधानमंडल में एक साथ सदस्य बनने से रोकता है?

   (a) अनुच्छेद 101(1)

   (b) अनुच्छेद 101(2)

   (c) अनुच्छेद 101(3)

   (d) अनुच्छेद 101(4)

   Ans:(b)

3. चर्चा में रहे 'संविधान का अनुच्छेद 101(4)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस अनुच्छेद के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य साठ दिनों की अवधि के लिए सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है।
2. देश में अब तक तीन सांसदों की सदस्यता इस प्रावधान के तहत हटाया जा चुका है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(a)

4. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर, 2022 तक, भारत की जेलों में 5,73,220 कैदी हैं, जो भारतीय जेलों की कुल क्षमता का कितना प्रतिशत होता है?

(a) 51.4 प्रतिशत

(b) 81.4 प्रतिशत

(c) 94.4 प्रतिशत

(d) 131.4 प्रतिशत

Ans:(d)

5. भारत में कैदियों की सजा माफ करने से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल को लोगों की सजा माफ करने की शक्ति प्रदान करता है।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता राज्य सरकारों को "किसी भी समय" सजा माफ करने की शक्ति प्रदान करती है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(c)